राजस्थान सरकार

# सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(5702)/डीओआईटी/संस्था/14/ 01230/2018 जयपुर, दिनांक : 18/06/2018

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

**श्रीमती प्रियंका स्वामी, सूचना सहायक** कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मुख्यालय, बीकानेर **को Jaipur National University, Jaipur से MBA (Finance) की पत्राचार की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।**

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्रीमती प्रियंका स्वामी, सूचना सहायक, को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

Sd

(रामचरण शर्मा)
कार्यालयाध्यक्ष एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. एसीपी (उपनिदेशक), कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बीकानेर ।
2. श्रीमती प्रियंका स्वामी, कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग बीकानेर ।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतू।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

कार्यालयाध्यक्ष एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन

सूचना प्रौद्योगिकी भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन : 0141–22224855, 2222439, फैक्स : 0141–2223010, वैबसाईट – www.doitc.rajasthan.gov.in

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

# राजस्थान सरकार
# सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
# आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :–एफ.2(1390)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/12/01236/2018 जयपुर, दिनांक : 18/06/2018

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती विनिता विजय, सहायक प्रोग्रामर, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर ने अग्रिम अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्रीमती विनिता विजय, सहायक प्रोग्रामर को **MCA 3rd Year Lateral Entry , Vardhman Mahaveer Open University, Kota** से पत्राचार के माध्यम से अग्रिम अध्ययन परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्रीमती विनिता विजय, सहायक प्रोग्रामर को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

sd

**(रामचरन शर्मा)**
**प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. CS & OIC (P&A), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
2. श्रीमती विनिता विजय, सहायक प्रोग्रामर, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

**प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)**

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

# राजस्थान सरकार
## सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
## आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :–एफ.2(1390)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/12/01235/2018 जयपुर, दिनांक : 18/06/2018

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

श्रीमती हर्षिता मेलवानी, सहायक प्रोग्रामर, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर ने अग्रिम अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्रीमती हर्षिता मेलवानी, सहायक प्रोग्रामर को **MCA 3rd Year Lateral Entry , Vardhman Mahaveer Open University, Kota** से पत्राचार के माध्यम से अग्रिम अध्ययन परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्रीमती हर्षिता मेलवानी, सहायक प्रोग्रामर को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

sd

(रामचरन शर्मा)
प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. CS & OIC (P&A), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
2. श्रीमती हर्षिता मेलवानी, सहायक प्रोग्रामर, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)

राजस्थान सरकार
# सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(3296)/डीओआईटी/संस्था/14/01212/2018 जयपुर, दिनांक : 15/06/2018

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

**श्री नवनीत माथुर, सूचना सहायक** कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अजमेर **को Vardhman Mahaveer Open University, Kota से Post Graduate Diploma in Yoga Science की पत्राचार पाठयक्रम की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।**

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री नवनीत माथुर, सूचना सहायक, को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

Sd/-
(रामचरण शर्मा)
कार्यालयाध्यक्ष एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. जिला रसद अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अजमेर।
2. श्री नवनीत माथुर, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अजमेर।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतू।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

कार्यालयाध्यक्ष एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन

सूचना प्रौद्योगिकी भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन : 0141–22224855, 2222439, फैक्स : 0141–2223010, वैबसाईट – www.doitc.rajasthan.gov.in

IT
प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

# राजस्थान सरकार
## सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
## आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :–एफ.2(3542)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/01164/2018 जयपुर, दिनांक : 14/06/2018

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री विजयपाल छापोलिया, सूचना सहायक, राजकीय सामान्य चिकित्सालय सलूम्बर, जिला उदयपुर ने अग्रिम अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री विजयपाल छापोलिया, सूचना सहायक को **MCA 2nd Year , Vardhman Mahaveer Open University, Kota** से पत्राचार के माध्यम से अग्रिम अध्ययन परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री विजयपाल छापोलिया, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

—Sd—
(रामचरन शर्मा)
प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–
1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय सलूम्बर, जिला उदयपुर (राज.)।
2. श्री विजयपाल छापोलिया, सूचना सहायक, राजकीय सामान्य चिकित्सालय सलूम्बर, जिला उदयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)